सिंडिकेटबैंक

प्रधान कार्यालय : मणिपाल – 576 104 (कर्नाटक)

संगठन एवं पद्धति प्रभाग

परिपत्र संख्या : 055/2006/बी.सी./आइ.आर.डी. दिनांक : 24-03-2006

स्थायी उपयोगिता

अधीनस्थ कर्मचारियों को दी जानेवाली वरदी और सिलाई प्रभार की दरों में संशोधन

शाखाओं/कार्यालयों का ध्यान द्विपक्षीय समझौते के संगत उपबंधों की ओर दिलाया जाता है जिसके अंतर्गत बैंक द्वारा उन सभी स्थायी, पूर्णकालिक, अंशकालिक अधीनस्थ कर्मचारियों को निम्नलिखित दरों पर वरदी उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है जो प्रति हफ्ते 6 घंटे से अधिक काम करते हैं:

– दो वर्ष में एक बार तीन सेटों की टेरी खादी वरदी
– तीन वर्ष में एक बार एक सेट ऊनी वरदी
– पहाड़ी क्षेत्रों में - वर्ष में एक बार एक सेट ऊनी वरदी और तीन वर्ष में एक बार एक सेट टेरी खादी की वरदी
– तीन वर्ष में एक बार ऊनी वरदी के बदले में हर 18 महीने में एक अतिरिक्त टेरी खादी वरदी का सेट
– चौकीदारों, सशस्त्र रक्षकों, बिजली मिस्त्री, एअर कंडिशनिंग प्लांट हेल्पर्स और ड्राइवरों को दो वर्ष में एक बार एक जोड़ा जूता।

तदनुसार, बैंक अधीनस्थ कर्मचारियों को समय-समय पर वरदी उपलब्ध कराने के साथ-साथ सिलाई शुल्क की प्रतिपूर्ति भी कर रहा है, जिसकी दरों में भी समय-समय पर वृद्धि की जा रही है ।

वरदी सामग्री की लागत में भारी वृद्धि होने तथा एस.बी.ई.यू.से प्राप्त अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान दरों में निम्नवत् संशोधन करने का निर्णय लिया गया है ।

क) i) **ऊनी वरदी (जाड़े में)**

विवरण	मौजूदा	संशोधित
2.75 मीटर के लिए (अधिकतम)	**उन स्थानों पर जहां तापमान 10°C से भी नीचे आ जाता है तथा जहां पर ईंधन भत्ता दिया जाता है ।** 319.50 रुपए प्रति मीटर (अधिकतम 878.63 रुपए)	400/- रुपए प्रति मीटर (अधिकतम 1,100/- रुपए)
	अन्य सभी स्थानों पर तत्कालीन सभी अंचलों में 235/- रुपए प्रति मीटर (अधिकतम 646.25 रुपए) (रेमंड ट्रावाइन कपड़ा) महिलाओं की ऊनी वरदी के लिए 350/- रुपए अर्थात् एक नाइलॉन सिंथेटिक कपड़े की साड़ी और एक मैचिंग ब्लाउस, फुल स्लीववाली एक ऊनी जर्सी या शॉल	300/- रुपये प्रति मीटर और अधिकतम 825/- रुपए 1,100/- रुपए
सिलाई प्रभार	प्रधान कार्यालय में कार्यरत अधीनस्थ कर्मचारियों के मामले में सिलाई प्रभार का निर्धारण प्र.का. द्वारा किया जाएगा और तत्कालीन आं.का./क्षे.का./म.प्र. कार्यालय में कार्यरत अधीनस्थ कर्मचारियों के मामले में सिलाई प्रभार का निर्धारण संबंधित आं.का./क्षे.का./ म.प्र.का. करेंगे ।	**वर्तमान सिलाई प्रभार जारी रहेगा और क्षे.का./म.प्र.का, प्र.का. की अनुमति से अपने-अपने स्तर पर इसमें वृद्धि कर सकते हैं ।**

ii) **टेरी खादी/टेरी सूती वरदी**

	पुरुषों के पैंट और शर्ट के लिए टेरी खादी/सूती के किसी भी प्रकार के कपड़े से बनी प्रति सेट वरदी के लिए सिलाई प्रभार के बिना 250/- रुपए महिलाओं के लिए साड़ी और ब्लाउस के लिए रु. 350/- (सिलाई प्रभार के बिना)	**350/- रुपए** **सिलाई प्रभार के बिना** **500/- रुपए** **(सिलाई प्रभार सहित)**
सिलाई प्रभार	प्रधान कार्यालय में कार्यरत अधीनस्थ कर्मचारियों के मामले में, सिलाई प्रभार का निर्धारण प्र.का. द्वारा किया जाएगा और तत्कालीन आं.का./क्षे.का./म.प्र.का. में कार्यरत कर्मचारियों के मामले में सिलाई प्रभार का निर्धारण संबंधित आं.का./क्षे.का./म.प्र.का. द्वारा किया जाएगा ।	**पैंट और शर्ट के लिए, वर्तमान सिलाई प्रभार जारी रहेगा और क्षे.का./म.प्र.का., प्र.का. की अनुमति से अपने-अपने स्तर पर इसमें वृद्धि कर सकते हैं । नै.का. बेंगलूर में कार्यरत कर्मचारियों के मामले में सिलाई प्रभार का निर्धारण म.प्र.का. बेंगलूर द्वारा किया जाएगा ।**

ख) i) **चौकीदारों सशस्त्र रक्षकों, बिजली मिस्त्री, एअर कंडीशनिंग प्लांट सहायकों और ड्राइवरों के लिए किसी भी मेक के काले रंग के एक जोड़ा जूते के लिए**	375/- रुपए	**500/- रुपए**
ii) **किसी भी प्रकार के सूती मोजे के लिए**	35/- रुपए	**50/- रुपए**
ग) **केवल सशस्त्र रक्षकों के लिए विशेष मदें**		
i) काले रंग का चमड़े का बेल्ट – एक	150/- रुपए	**200/- रुपए**
ii) सीटी सहित खाकी डोरी – एक	20/- रुपए	**50/- रुपए**
iii) खाकी बैरेट कैप (सिक्खों को छोड़कर)-1	45/- रुपए	**65/- रुपए**
iv) टर्बन/पगड़ी (सिक्खों के लिए/-2 सेट	130/- रुपए	**175/- रुपए**
v) पाउच के साथ चमड़े का शोल्डर अम्युनिशन बेल्ट – 1	35/- रुपए	**50/- रुपए**
vi) ऊनी जर्सी	250/- रुपए	**350/- रुपए**

उपर्युक्त संशोधन/वृद्धि दि. 01-04-2006 के बाद खरीदी जानेवाली वरदियों के लिए लागू होंगी ।

सामान्य:

1. पात्रता,आपूर्ति का समय, कलर, पैटर्न, छाते के लिए लागू होनेवाली दरें इत्यादि से संबंधित वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।
2. अधीनस्थ कर्मचारियों को नकदी भुगतान नहीं किया जाना चाहिए चाहे वह कपड़ा खरीदने के लिए हो या सिलाई प्रभार की अदायगी के लिए हो । भुगतान सीधे पूर्तिकर्ताओं/दर्जी को किया जाना चाहिए ।
3. वे सभी कर्मचारी जिनको वरदी उपलब्ध करायी गयी है, वे उसे काम पर रहते समय साफ-सफाई के साथ पहनें । ड्यूटी पर वरदी न पहनना कदाचार माना जाएगा और इसके लिए कर्मचारी पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी ।
4. शाखाएं/कार्यालय, एक वरदी (यूनिफार्म) रजिस्टर रखें और उसमें आवश्यक प्रविष्टियां करें तथा ज्योंही वरदी की आपूर्ति की जाती है त्योंहीं रजिस्टर में कर्मचारी के हस्ताक्षर ले लिए जाएं ।
5. वरदी आपूर्ति करने के तुरंत बाद, शाखाएं/कार्यालय अपने संबंधित क्षे.का./म.प्र.का. को निर्धारित फार्मट में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और प्र.का./नै.का. के विभाग, उक्त रिपोर्ट को प्र.का.: औ.सं.प्र. को भेजेंगे ।

6. यदि कर्मचारी अपनी वरदी शाखा/कार्यालय के परिसर में ही रखना चाहते हैं तो इसके लिए अनुमति दी जा सकती है। फिर भी, वरदी रखने के लिए अधीनस्थ कर्मचारियों को कैबिनेट/अलमारी उपलब्ध करवाने या वरदी पहनने के लिए कमरे का बन्दोबस्त करवाने के लिए बैंक बाध्य नहीं है ।
7. जब किसी अधीनस्थ कर्मचारी का स्थानांतरण एक शाखा/कार्यालय से दूसरी शाखा/कार्यालय में हो जाता है, तो उसको आपूर्ति की गयी वरदी के ब्यौरे उस शाखा/कार्यालय को प्रस्तुत किया जाए जिस शाखा/कार्यालय में अधीनस्थ कर्मचारी का स्थानांतरण हुआ है और इसकी सूचना संबंधित क्षे.का./म.प्र.का. को भी दी जाए ।
8. द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत दिए जानेवाले धुलाई भत्ते का भुगतान, वरदी आपूर्ति करने की तारीख से शुरु किया जाएगा ।
9. पात्र अधीनस्थ कर्मचारियों को वरदी आपूर्ति करने की जिम्मेदारी शाखा प्रमुखों/कार्यालय/विभाग के प्रमुखों तथा प्र.का./नै.का. के विभागाध्यक्षों की होगी और वे सुनिश्चित करेंगे कि अधीनस्थ कर्मचारी अपनी वरदी नियमित रूप से स्वच्छ और अच्छी स्थिति में पहनते हैं ।

शाखाओं/कार्यालयों को सलाह दी जाती है कि इस परिपत्र की विषय वस्तु को नोट करें तथा तदनुसार कार्य करें ।

यदि इस परिपत्र के संबंध में कोई स्पष्टीकरण अपेक्षित है, तो उसे प्रचलित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार संबंधित क्षे.का./म.प्र.का. के माध्यम से प्रधान कार्यालय, मणिपाल के कार्मिक विभाग, औद्योगिक संबंध प्रभाग से प्राप्त किया जाए ।

EPPAL:YRTIR:YRUDE
परीक्षण शब्द

(अलेन सी.ए. पिरेरा)
महा प्रबंधक